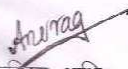


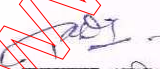
56A

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत आर०के०के० मोटर मार्ग से भरवाकाटल-श्रीपुर मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 5.00 किमी०, वन पंचायत भूमि 1.662 है० तथा आरक्षित वन भूमि 1.313 है०, कुल प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 2.975 है०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आर०के०के० मोटर मार्ग से भरवाकाटल-श्रीपुर मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु 2.975 है० वग भूमि (वन पंचायत भूमि 1.662 है० व आरक्षित वन भूमि 1.313 है०) के गैर वाणिज्यिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि०, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। दिनांक के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० के बिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों की भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Group) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


कनिष्ठ अभि०
अ०ख०, लो०नि०वि०,
थत्यूड


सहायक अभि०
अ०ख०, लो०नि०वि०,
थत्यूड


अधीक्षक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०,
थत्यूड (टिहरी गढ़वाल)


तहसीलदार


उपजिलाधिकारी
धनौली


जिलाधिकारी
नई टिहरी।